

कम संख्या— 16

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / -30 / 03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल

सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार 27 जनवरी, 2005 ई0 माघ 07, 1926

शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 419 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005 देहरादून, 27

जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 को दिनांक 27-01-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम,
2005 [उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2005]

उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय अधिष्ठानों में निक्षेपकों (जमाकर्ताओं) के हितों की संरक्षा के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नवत्
अधिनियमित:-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ | 1. | (1) भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में अधिनियमित यह अधिनियम उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 कहलाएगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
(3) यह सरकारी गजट में अधिसूचित होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। |
| परिभाषाएं | 2. | यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस अधिनियम में—
(क) “सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी” का तात्पर्य उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (वर्ष 1901 का अधिनियम सं0 3), उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;
(ख) “सक्षम प्राधिकारी” का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है;
(ग) “निक्षेप” में ऐसी किसी धनराशि की प्राप्ति या किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा किसी वस्तु का स्वीकरण सम्मिलित है अथवा सदैव सम्मिलित हुआ समझा जायेगा, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु अथवा विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य प्रकार के फायदे के साथ या उसके बिना वापिस जाना है, किन्तु इसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है:-
(1) अंशपूँजी, ऋण-पत्र (डिबेंचर बांड) या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड |
| बहुमूल्य | | |
| किया | | |

अधिनियम, एवं कोई	1992 (वर्ष 1992 का अधिनियम सं० 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों और बनाए गए विधियों में सम्मिलित अन्य लिखत के रूप में जुटाई गयी धनराशि।
की कोई	(2) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में दी गई धनराशियां। (3) बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त धनराशियां।
में	(4) निम्नलिखित से प्राप्त कोई धनराशि:— (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 अधिनियम संख्या 1) में या धारा 4 क विनिर्दिष्ट कोई अन्य वित्तीय संस्था, अथवा (ग) कोई अन्य संस्था जिसे इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; (5) सामान्य कार्य संचालन के दौरान— (क) प्रतिभूति जमा, (ख) व्यवहारी द्वारा जमा, (ग) अग्रिम धन, तथा (घ) सामान या सेवा के आदेश के बदले अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि; (6) तत्समय राज्य में प्रवृत्त साहूकारी सम्बन्धी किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों के किसी संघ या फर्म अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई धनराशि; (7) चिट के सम्बन्ध में अंशदान के रूप में प्राप्त कोई धनराशि।
	स्पष्टीकरण—1— “चिट” का तात्पर्य चिट फण्ड एक्ट, 1982 (वर्ष 1982 अधिनियम संख्या 40) की धारा 2 के खण्ड (ग) में समनुदेशित अर्थ से है।
	स्पष्टीकरण—2— किसी सम्पत्ति (चल अथवा अचल) की बिक्री पर किसी विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को दिया गया कोई उधार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;
	(घ) “अभिहित न्यायालय” का तात्पर्य धारा 10 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय से है;
	(ङ) “वित्तीय अधिष्ठान” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है, जिसमें फर्म अथवा कम्पनी सम्मिलित है, जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप स्वीकार करते हैं किन्तु इसमें बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई निगम या किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति या बैंकिंग कम्पनी सम्मिलित नहीं है;
	(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।
वित्तीय अधिष्ठान द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम	3. यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान निक्षेप की परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में वचनानुसार फायदे के साथ निक्षेप का प्रति संदाय करने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है या यथाआश्वासन निक्षेप के बदले सेवा प्रदान करने में असफल होता है तो संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक सहित प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के प्रबन्धन या कारबार या कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी को दोष सिद्ध होने पर कारावास, जिसकी अवधि छः वर्ष तक हो सकती है, का दण्ड दिया जाएगा और उस पर जुर्माना, जिसकी सीमा एक लाख रुपये तक हो सकती है, किया जा सकता है तथा ऐसा वित्तीय अधिष्ठान जुर्माना देने का भी जिम्मेदार होगा जो पांच लाख रुपये की समतुल्य राशि तक हो सकता है या जहां ऐसे निक्षेप का परिमाण धनराशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वहां ऐसे व्यतिक्रम में अंतर्निहित धनराशि का दुगुना, इनमें जो भी अधिक हो, जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा :
	परन्तु उपबन्ध यह है कि न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित विशेष और पर्याप्त कारण के अभाव में कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के सापेक्ष एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।
	स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय अधिष्ठान जो ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में वचनानुसार फायदे के साथ ऐसे निक्षेप का प्रति संदाय करने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है या यथा वचन ऐसे निक्षेप को बदले विनिर्दिष्ट सेवा

प्रदान करने में असफल होता है या निक्षेप के बदले करार की गई विनिर्दिष्ट सेवा इस आशय से प्रदान करने में असफल होता है, जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ होता है और दूसरे को सदोष हानि या निक्षेप स्वीकार करते समय असाध्य अथवा व्यापारिक दृष्टि से अव्यावहारिक वचन दिए जाने या निक्षेपों से अर्जित धन या परिसम्पत्तियों को इस रीति से अभिनियोजित करने के कारण जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसकी वसूली में अंतर्निहित जोखिम हो, उत्पन्न असमर्थता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करता है, तो समझा जाएगा कि उसने कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है या कपटपूर्ण ढंग से विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने में असफल रहा है।

निक्षेपों को लौटाने में होने व्यतिक्रम पर हैं। सम्पत्तियों की कुर्की

4. (1) सरकार या जिला मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी अधिकारिता में स्वमेव या शिकायत प्राप्त पर धारा 3 में विनिर्दिष्ट कपटपूर्ण संव्यवहार की शिकायत का अन्वेषण कर सकते जिला मजिस्ट्रेट शिकायत के साथ अपनी रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—
 - (एक) जहां निक्षेपकों से अथवा अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई वित्तीय अधिष्ठान—
 - (क) परिपक्वता के पश्चात् या निक्षेपकों द्वारा मांगे जाने पर निक्षेप लौटाने, या
 - (ख) ब्याज या अन्य फायदे, जिनका आश्वासन दिया गया था, के भुगतान करने, या
 - (ग) ऐसे निक्षेप के बदले सेवा प्रदान करने में असफल रहता है, या
 - (दो) जहां सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निक्षेपों को धोखा देने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य कर रहा है, जो उनके लिए अहितकर होगा, या
 - (तीन) जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपों को लौटाने या ब्याज या अन्य फायदे जिनका आश्वासन दिया गया था, के भुगतान या उन सेवाओं को प्रदान करने की सम्भावना नहीं है, जिनके बदले निक्षेप स्वीकार किया गया तो सरकार ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के निक्षेपकों के हितों की संरक्षा के लिए लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित कर धन या सम्पत्ति की, जो विश्वास किया जाता है कि वित्तीय अधिष्ठान द्वारा संग्रह किए गए निक्षेपों से अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अधिग्रहीत की गई है या जहां यह मालूम हो जाए कि ऐसा धन या अन्य सम्पत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उक्त वित्तीय अधिष्ठान की ऐसी, अन्य सम्पत्ति या ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के संप्रवर्तकों, भागीदारों, निदेशकों, प्रबन्धकों या सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की निजी परिसम्पत्तियों की कुर्की के आदेश जारी करेगी।
- (3) उपधारा (2) के अधीन इस आदेश के प्रकाशित होने पर अभिहित न्यायालय से अग्रेतर आदेश प्राप्त होने तक उस वित्तीय अधिष्ठान तथा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की समस्त सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां तत्काल सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी की लिए नियुक्त प्रथम प्राधिकारी

5. (1) सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन कुर्क किए धन और सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने के अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को जिसका पद सहायक जिलाधिकारी, श्रेणी से निम्न स्तर का नहीं होगा अथवा किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को, सक्षम नियुक्त किया जाएगा।
- (2) उक्त आदेश के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर अभिहित न्यायालय से अग्रेतर आदेशों, जैसा अभिहित न्यायालय आवश्यक समझे, के लिए सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ एक या अधिक शपथ-पत्र संलग्न करेगा, जिनमें उन कारणों का जिनके आधार पर सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन उक्त आदेश जारी किया गया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसे विश्वास किया जाता है, निक्षेपों से अर्जित की गई है तथा उन व्यक्तियों का, यदि कोई हों, का ब्यौरा जिनके नाम ऐसी सम्पत्ति के निहित या अर्जित किए जाने का विश्वास किया जाता है या धारा 4 के अधीन कुर्क की गई कोई अन्य सम्पत्ति का आवश्यक उल्लेख होगा।

- मंच यथा
- गठित
आदेश
मंच
- सक्षम प्राधिकारी के
इस कर्तव्य एवं शक्तियां
- (3) सक्षम प्राधिकारी, विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य किसी न्यायिक स्थिति की प्रादेशिक अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी वित्तीय अधिष्ठान या इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति की या दृश्यतः उसके धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी विवाद या विषय वस्तु के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु किसी समान अधिनियम के अधीन जिसे किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित या या शक्तियां सौंपी गई हों, इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन हेतु समुचित पारित करने के लिए विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य ऐसे न्यायिक को भी एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
6. (1) धारा 5 की उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के प्रयोजन का पालन करेगा;
- (2) (एक) नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित वित्तीय अधिष्ठान की समस्त धनराशियों और परिसम्पत्तियों का शीघ्रता से वस्तुगत कब्जा लेने के लिए जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे, आवश्यक कार्यवाहियां कर सकेगा और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (दो) खण्ड (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होंगे—
- (क) किसी पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी से सहायता की मांग करना और ऐसी मांग पर पुलिस प्राधिकारी या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह आवश्यक सहायता प्रदान करे;
- (ख) अनुसूचित व्यापारिक बैंक में खाता खोले और सवूल की गई समस्त धनराशियां जमा करें तथा सक्षम अधिकारी की हैसियत से प्राप्त धनराशि का संव्यवहार करते समय बैंक खातों का संचालन करें;
- (ग) किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे या नियंत्रण में वित्तीय अधिष्ठान की कोई धनराशि या परिसम्पत्ति के होने का विश्वास किया जाता है, आवश्यक सूचना प्रदान करने और ऐसी परिसम्पत्तियों का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को सौंपने की मांग करना तथा ऐसे व्यक्ति को ऐसी मांग का अविलम्ब अनुपालन करना होगा;
- (घ) ऐसे विधि व्यवसयी या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना जिसकी सेवाएं वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए आवश्यक हो;
- (ङ) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी बिक्री योग्य प्रतिभूति या पराक्रम्य लिखत का विक्रय, हस्तान्तरण, पृष्ठांकन, पराक्रमण या अन्यथा संव्यवहार करना तथा उसका समुचित रूप से उन्मोचन करना;
- (च) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्वानुमोदन से निजी व्यवस्था द्वारा विक्रय, हस्तान्तरण या अन्यथा संव्यवहार करना :
- परन्तु उपबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियों की नाशवान मर्दे यथाशीघ्र, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दी जाएंगी;
- (छ) अभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खातों से भुगतान करना;
- (ज) ऐसा प्रत्येक और समस्त कार्यवाही और कार्य करना जो वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों की शीघ्रतया वसूली के लिए आवश्यक हो।
- स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु “वित्तीय अधिष्ठान” वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति का समावेश है जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

16क (1) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अथवा उसके पश्चात् उत्तराखण्ड

राज्य में अपना व्यापार प्रारम्भ या संचालित कर रहा हो, ऐसे व्यापार को संचालित करने व उसके प्राधिकारी के सम्बंध में विवरण उल्लिखित करते हुए राज्य में वित्तीय अधिष्ठान और उसकी मुख्य शाखा कार्यालय की स्थिति जहां वह स्थापित है, यदि कोई हो, राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के व्यापार या मामलों के संचालन हेतु प्रबंधन के लिए उत्तदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थाई पते और ऐसे अन्य विवरण जैसा विहित किया जाय, जिला कलेक्टर तथा जिले के पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के अपने व्यापार को संचालित करने या प्रारम्भ करने पर सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी;

परन्तु यह कि कोई वित्तीय अधिष्ठान जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ऐसे व्यापार को संचालित कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट ऐसे प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान अपने व्यापार और वित्तीय स्थिति, उसके विनिवेश का क्षेत्र और राज्य के भीतर तथा बाहर किए गए धन के विनिवेश की स्थिति तथा ऐसे अन्य विवरण जैसा विहित किया जाय, किसी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर एक माह के भीतर त्रैमासिक विवरण जिला कलेक्टर और जिले के पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायेगा।

(4) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से जो के हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।}

पचास

परिसम्पत्तियों और
देयताओं का
निर्धारण

7. (1) सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति की तिथि के तीस दिन के अन्दर वित्तीय अधिष्ठान की निक्षेप परिसम्पत्तियों और निक्षेप सम्बन्धी देयताओं का निर्धारण करेगा और उनका विवरण अभिहित न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।
- (2) तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या प्रभावी माध्यमों में प्रकाशित कर नोटिस जारी करेगा और प्रतिभूत लेनदारों से, यदि कोई हों, तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों से भी दावे आमंत्रित करेगा और अपने साक्ष्य विद्ध करने के लिए समुचित प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक नोटिस में जो दावेदारों को भेजा गया हो या कार्यन्वित किया गया समझा जाए, इस बात का उल्लेख होगा कि यदि नोटिस के दिनांक से एक माह की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को दावे का विवरण नहीं भेजा गया तो दावा को इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन भुगतान का हकदार दावा नहीं माना जायेगा।
- (4) प्रतिभूत लेनदार को भेजे गए प्रत्येक नोटिस द्वारा यह अपेक्षित होगा कि नोटिस के दिनांक से एक माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व वह प्रतिभूति का मूल्यांकन कर ले और ऐसे नोटिस में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि प्रतिभूति का मूल्यांकन दावे के साथ सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभूति का मूल्यांकन करेगा और उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे प्रतिभूत लेनदार पर बाध्यकर होगा।
- (5) यदि दावेदार उप धारा (4) के अनुसार नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी प्रतिभूति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा
से रिपोर्ट प्रस्तुत करना
आवेदन
अन्य
सम्पूर्ण
अनुसार
लिए

8. धारा 7 के अनुसार रिपोर्ट करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी वसूल की गई धनराशि निक्षेपकों को भुगतान करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अभिहित न्यायालय में करेगा। ऐसा आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकों के प्रति देयताओं और देयताओं का निर्धारण करेगा और यदि वसूल की गई या किए जाने योग्य धनराशि देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है तो वह अभिहित न्यायालय के आदेशों के निक्षेपकों को भुगतान करने और धनराशि के संवितरण की अनुज्ञा प्राप्त करने के अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा।

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2017 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

परिसम्पत्तियों की 9. (1) अभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु समस्त शक्तियां वसूली और निक्षेपकों प्राप्त होंगी। को भुगतान सम्बन्धी अभिहित न्यायालय की

शक्तियां (2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिहित न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:—

- (क) इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समक्ष प्राधिकारी को, जैसा उचित समझे, कोई निर्देश दे सकेगा;
- (ख) विभिन्न ऋणी व्यक्तियों द्वारा देय वित्तीय अधिष्ठान को देय राशियों के विवरण का अनुमोदन, वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण, निक्षेपकों की सूची और उनको देय राशियों को अंतिम रूप प्रदान करना;
- (ग) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और विक्रय, हस्तांतरण या परिसम्पत्तियों की प्रकृति का आधार पर सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट बिक्री द्वारा, जैसा भी उचित समझे, कुर्क परिसम्पत्तियों की वसूली और उनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने के निर्देश देना;
- (घ) वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुमोदन;
- (ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को भुगतान करने के लिए आदेश या उस दशा में जबकि इस प्रकार वसूल की गई धनराशि से सम्पूर्ण निक्षेप देयता की पूर्ति पर्याप्त न हो, निक्षेपकों को समानुपातिक भुगतान हेतु आदेश देना;
- (च) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की वसूली तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय अथवा उससे आनुषंगिक विषय या किसी मामले के सम्बन्ध में कोई ऐसा आदेश पारित करना, जो अभिहित न्यायालय उचित समझे।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन हेतु “वित्तीय अधिष्ठान” वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य सदस्य का समावेश है जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

अभिहित न्यायालय का 10. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सरकार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गठन प्रकरणों जिला एवं सेशन न्यायाधीश सहित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के संवर्ग में एक या अधिक अभिहित न्यायालयों का गठन कर सकेगी।

(2) अभिहित न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय की, जिसमें प्रेसीडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (वर्ष 1909 का अधिनियम संख्या 3) तथा प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (वर्ष 1920 अधिनियम सं० 5) के अधीन गठित न्यायालय भी सम्मिलित हैं, किसी विषय के सम्बन्ध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों की सहायता ली जाती है, अधिकारिता नहीं होगी।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित प्रकरण, किसी विषय के सम्बन्ध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचना के दिनांक से अभिहित न्यायालय को अन्तरित समझे जाएंगे।

कुर्की से सम्बन्धित 11. (1) धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी वित्तीय अधिष्ठान या किसी अन्य अभिहित न्यायालय की द्वारा सक्षम शक्तियां यदि व्यक्ति को जिसकी परिसम्पत्ति कुर्क की गई है और धारा 4 के अधीन सरकार प्राधिकारी में निहित की गई है, आवेदन पत्र, शपथ—पत्रों तथा अभिलिखित साक्ष्य, कोई हों, के साथ नोटिस जारी करेगा और उक्त अधिष्ठान तथा ऐसे व्यक्ति से ऐसे दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा या उसे पूर्व कारण बताओं की कुर्की का आदेश क्यों न आत्यन्तिक कर दिया जाए, का आदेश जारी करेगा।

- (2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी जिन्होंने वित्तीय अधिष्ठान हित या हक होने के दावे या उसके सम्भावना के सम्बन्ध में उसे अभ्यावेदन दिया है या ऐसे व्यक्ति की जिसे उपधारा (1) के अधीन ऐसा नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों से उसी दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए; उपस्थित होने यदि वे चाहें तो और सम्पत्तियां या उसके किसी भाग की कुर्की के विरुद्ध इस अधार पर आपत्ति करने, के आदेश देगा कि ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग में उनका हित है।
- (3) कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित के होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन उसे नोटिस तामील नहीं किया गया, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित किए जाने से पहले विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले किसी भी समय उपर्युक्त के अनुसार अभिहित न्यायालय में आपत्ति उठा सकता है।
- (4) यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले उपधारा (1) के अधीन कोई कारण नहीं बताया गया या कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो सक्षम प्राधिकारी कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए तुरन्त एक आदेश पारित करेगा और ऐसा निर्देश निर्गत करेगा जो कुर्क की गई परिसम्पत्तियों की वसूली और कुर्क की गई सम्पत्ति से वसूल की गई धनराशि के निक्षेपकों में समान रूप से वितरण के लिए आवश्यक है।
- (5) यदि उपर्युक्त के अनुसार कारण बताया गया या कोई आपत्ति उठाई गई तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही करेगा और ऐसा करते समय अभिहित न्यायालय पक्षों की परीक्षा तथा अन्य सभी पहलुओं पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का अधिनियम सं० 5) में अपेक्षित है और उक्त संहिता के अधीन वाद की सुनवाई करते समय न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि कुर्की के दिनांक को कुर्क की गई सम्पत्ति में उसका कुछ हित था।
- (6) उपधारा (5) के अधीन किए गए अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय यथाशीघ्र अधिमान्यतः मामले को उसे निर्दिष्ट किए जाने के एक वर्ष के अन्दर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए या सम्पत्ति के एक भाग को कुर्की से मुक्त कर या कुर्की के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश पारित करेगा :
किन्तु उपबन्ध यह है कि जब तक यह समाधान नहीं हो जाता कि वित्तीय अधिष्ठान या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सम्पत्ति में हित है और उतनी धनराशि या सम्पत्ति, जिसका मूल्य वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करने के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा कुर्की के अधीन रहेगी, अभिहित न्यायालय ऐसे हित को कुर्की से मुक्त नहीं करेगा।
- (7) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसे समान अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा कुर्क की गई धनराशि, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत, गठित या विनिर्दिष्ट किया गया है और शक्ति प्रदान की गई है तो अभिहित न्यायालय अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। मानो आवेदन-पत्र इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबन्धों को लागू करने के लिए ऐसे आवेदन-पत्र पर समुचित आदेश पारित करेगा या निदेश देगा।

असदभावपूर्वक
अनतरितियों की
अपेक्षित सम्पत्ति की कुर्की
शपथ-पत्र द्वारा या

12. (1) जहां वित्तीय अधिष्ठान या धारा 4 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की कुर्की के लिए उपलब्ध परिसम्पत्तियां ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपकों को प्रति संदाय करने के लिए धनराशि या मूल्य से कम पाई जाएं और जहां अभिहित न्यायालय का

अन्यथा समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्ति-युक्त कारण हैं कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने किसी सम्पत्ति को (इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले या बाद में) सदभावना से अन्यथा समुचित प्रतिलाभ के लिए अन्तरित कर दी है तो अभिहित न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती को नोटिस देकर (चाहे उसने वह सम्पत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से सीधे प्राप्त की हो या नहीं) उस दिनांक को

जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने और इससे यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति जिसका मूल्य अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य हो, क्यों न कुर्क कर ली जाए।

- (2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं होता और कारण नहीं बताता अथवा धारा 1 की उपधारा (5) में की गई व्यवस्था की रीति से किए गए अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्वक नहीं था या समुचित प्रतिलाभ के लिए किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश देगा जितनी कि अभिहित न्यायालय के विचार से अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य होगी।

कुर्की के बदले
है या प्रतिभूति
के
प्रतिभूति
आदेश

13. वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई कुर्क की जाने वाली है, किसी भी समय ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुज्ञा लिए अभिहित न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और जहां प्रस्तावित और दी गई अभिहित न्यायालय की राय में समाधानकारक और पर्याप्त है तो वह कुर्क का निरस्त कर सकता है या यथास्थिति, कुर्की का आदेश पारित नहीं करेगा।

प्रशासन
या
द्वारा

14. अभिहित न्यायालय ऐसे व्यक्ति का जिसका इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति में हित हो, आवेदन-पत्र पर और सक्षम प्राधिकारी सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे अभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत और युक्ति-युक्त समझे-

(क) कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी सम्पत्ति में से उतनी धनराशियों की व्यवस्था करना जिनमें आवेदक हित रखने का दावा करता है, जो आवेदक और उसके परिवार के निर्वाह और जहां अभिहित न्यायालय में धारा 3 के अधीन उसके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ की गई हो, वहां आवेदक के प्रतिवाद सम्बन्धी व्यय के लिए युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक हो;

(ख) जहां तक व्यवहारिक हो, कुर्की से प्रभावित किसी व्यापार विशेष रूप से ऐसे व्यापार में भागीदारों के हित की संरक्षा;

(ग) ऐसे वित्तीय अधिष्ठान की किसी सांविधिक या अन्यथा देयता का उन्मोचन।

अपील
व्यक्ति

15. सक्षम प्राधिकारी सहित अभिहित न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित कोई भी आदेश के तीस दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

विशेष लोक
विशेष अभियोजक

16. सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिवक्ता को, जिसने बार में कम-से-कम दस वर्ष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी वकील (प्लीडर) अभिहित न्यायालय में मामलों के संचालन हेतु नियुक्त करेगी।

अपराधों से सम्बन्धित
संज्ञान में अभिहित न्यायालय की
पर प्रक्रिया एवं शक्तियां
विहित

17. (1) अभिहित न्यायालय अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए जाने के बगैर अपराध को ले सकता है। अभियुक्त व्यक्ति पर विचारण करते समय सेशन सम्बन्धी मामलों विचारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) में

प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) धारा 467 के उपबन्ध के सिवाय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) के समस्त उपबन्ध यथासम्भव अभिहित न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजन हेतु अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

(3) अभिहित न्यायालय संदर्भित व्यक्ति के सम्बन्ध में रिमांड की शक्ति का प्रयोग करेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 167 और 309 के अन्तर्गत प्राविधानित है।

(4) अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य अपराधों के सम्बन्ध में भी अभियुक्त का भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) के अन्तर्गत अभियोगों का भी परीक्षण करेगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होंगे।

- अन्य विधियों पर 18. इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य अधिभावी अधिनियम विधि के नाते प्रभावी किसी प्रथा या प्रचलन या लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
- सद्भावनापूर्ण की गई 19. इस अधिनियम के अधीन सरकार या सक्षम प्राधिकारी, या अधिकारी या सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा संरक्षण सकेगी जो सद्भावनापूर्वक की गई हो या किये जाने का आशय हो।
- नियम बनाने की 20. (1) अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में शक्ति अधिसूचित कर नियम बना सकेगी।
(2) यदि किसी विशेष दिनांक को प्रवृत्त होने के लिए अभिव्यक्त न हों तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और निर्गत अधिसूचनाएं उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएंगी और उनके प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होंगी।
- कठिनाईयों के 21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो निराकरण की शक्ति के सरकार यथावसर आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जो इस अधिनियम उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

THE UTTARAKHAND PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2005

[Uttarakhand Act No. 09 of 2005]

A
N

A
C
T

to protect the interests of depositors in financial establishments in the state of Uttarakhand.

Be it enacted in the Fifty-fifth year of the Republic of India by the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand as follows:-

Short title, 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Protection of Interests of Extent
and Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005.
commencement

(2) It extends to the whole of
Uttarakhand.

Definitions 2. In this Act unless the context otherwise requires--

(a) "Assistant Collector Ist Class" means an officer appointed as such under the U.P. Land Revenue Act, 1901 (Act No.3 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand);

(b) "Competent Authority" means the Authority appointed under section 5;

(c) "Deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in case or kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form, but does not include:-

(i) amount raised by way of share capital or by way of debenture, bond or any other instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the Securities and Exchange Board of India,

established under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 (Act No. 15 of 1992);

- (ii) amounts contributed as capital by partners of a firm;
- (iii) amounts received from a scheduled bank or co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Act no 10 of 1949);
- (iv) any amount received from—
 - (a) the Industrial Development Bank of India,
 - (b) any financial institution specified in or under section 4 A of the Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956), or
 - (c) any other institution that may be specified by the Government in this behalf;
- (v) amounts received in the ordinary course of business by way of—
 - (a) security deposit,
 - (b) dealership deposit,
 - (c) earnest money, and
 - (d) advanced against order for goods or services;
- (vi) any amount received from an individual or a firm or an association of is for the time being in force in the State; and
- (vii) any amount received by way of subscriptions in respect of a Chit.

Explanation I—“Chit” has the meaning as assigned to it in clause (b) of section 2 of the Chit funds Act, 1982 (Act No.40 of 1982)

Explanation II- Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

- (d) “Designated Court” means the Designated Court constituted under section 10;
- (e) “Financial Establishment” means any person or a group of individuals including a firm or a company accepting deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the banking Regulation Act, 1949 (Act No. 10 of 1949);
- “Government” means the Government of Uttarakhand.

Fraudulent 3.
by
bonus, Financial
Establishment

promoter
responsible

Any Financial Establishment, which fraudulently defaults any repayment or default deposit on maturity along with any benefit in the form of interest, profit or in any other form as promised or fraudulently fails to render service as assured against the deposit, every person including the partner, director, manager or any other person or an employee for the management of or conduction of the business or affairs of such Financial Establishment shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six years and with fine which may extend to one lakh of rupees and such Financial Establishment shall also be liable for a fine which may extend to an amount equivalent to rupees

five lakhs or where such deposit is quantifiable in terms of money twice the amount involved in such default, whichever is more:

Provided that in the absence of special and adequate reasons recorded in the judgment of the court, the imprisonment shall not be less than three years and the fine shall not be less than rupees twenty thousand as against each individual and not less than rupees on lakh against such Financial Establishment.

Explanation- For the purpose of this section, a Financial Establishment, which commits default in repayment of such deposit with such benefits in the form of interest, bonus, profit or in any other form as promised or fails to render any specified service promised against such deposit, or fails to render any specific service agreed against the deposit with an intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person or commits such defaults due to its inability arising out of impracticable or commercially not viable promised made while accepting such deposit or arising out of deployment of money or assets acquired out of the deposits in such a manner as it involves inherent risk in recovering the same when needed, shall be deemed to have committed a default or failed to render the specific service, fraudulently.

- Attachment of 4. (1) Government or the District Magistrate in their respective jurisdiction suo
properties on moto or on receipt of the complaints may cause investigation of a
complaint default of return of fraudulent transaction referred to in section 3. The
District Magistrate shall forward his report together with the complaint to the Government
of deposits at the earliest.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force—
- (i) Where, upon complaints received from the depositors, or otherwise, the Government is satisfied that any Financial Establishments has failed—
 - (a) to return the deposit after maturity or on demand by the depositor, or
 - (b) to pay interest or other assured benefit, or
 - (c) to provided the service against such deposit;
 - (ii) Where the Government has reason to believe that any Financial Establishment is acting in a calculated manner detrimental to the interests of the depositors, with an intention to defraud them; or
 - (iii) Where the Government is satisfied that such Financial Establishment is not likely to return the deposits or make payment of interest or other benefits assured or to provide the services against which the deposit is received, the Government may, in order to protect the interests of the depositors of such Financial Establishments, after recording reasons in writing, issue an order by publishing it in the Official Gazette, attaching the money or property believed to have been acquired by such Financial Establishment either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the financial Establishments, and where it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said

Financial Establishments or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the said Financial Establishments.

(3) On the publication of the order under sub-section (2), all the properties and assets of the Financial Establishment and the persons mentioned therein shall forthwith vest in the competent Authority appointed by the Government pending further order from the Designated Court.

Appointment 5.
competent
Authority Authority
the

(1) Government shall appoint any of its officers not below the rank of the of Assistant Collector Ist class or a Class-I Officer as the Competent to exercise control over the money and the properties attached by Government under section 4.

(2) The competent Authority shall, apply within fifteen days from the date of the publication of the said order, to the Designated court, accompanied by one or more affidavits stating the grounds on which the Government has issued the said order under section 4 and the amount of money or other property believed to have been acquired out of the deposits and the details, if any, of persons in whose name such property is believed to have been invested or acquired or any other property attached under section 4, for such further orders as a Designated Court may find necessary.

(3) The Competent Authority may also make an application to any Special Court or Designated Court or any other judicial forum established or constituted or entrusted with the powers by any other State Government under any similar enactment for adjudication any issue or subject matter pertaining to money or property or assets belonging to or ostensibly belonging to a Financial Establishment or any person notified under this Act situated within the territorial jurisdiction of that Special Court or Designated Court or any judicial forum as the case may be, for passing appropriate orders to give effect to the provisions of this Act.

Duties and 6.
of
Competent
Authority
take
physical

(1) Without prejudice of the generalities of sub-section (1) of section 5, the powers Competent Authority may carry out the purpose of this Act.

(2)(i) on receipt of order of appointment, the Competent Authority shall such necessary actions as it is necessary or expedient for taking possession of all the monies and assets of the concerned financial establishment expeditiously and the competent Authority shall have all the powers which are necessary for the aforesaid purpose.

(ii) Without prejudice to the generality of the powers vested under clause (i), the Competent Authority shall be entitled to---

(a) require assistance of any police authority or any other authority or person and on such requisition it shall be the duty of the police authority or such other authority or person to extend necessary assistance;

(b) open bank accounts in any scheduled commercial bank and credit all monies realized and operate the bank accounts while dealing with the money received in his capacity as Competent Authority;

(c) require any person believed to be in possession or control over any money or assets of the Financial Establishment, to furnish necessary information, to hand over possession of such assets to the

Competent Authority and such person shall comply with the requisition without any loss of time;

- (d) appoint legal practitioner or chartered accountant or any other person whose services are necessary for taking possession of assets and realization of the assets of the Financial Establishment;
- (e) sell, receive, transfer, endorse, negotiate, or otherwise deal with any marketable security or negotiable instrument belonging to or in the control of the Financial Establishment and give proper discharge for the same;
- (f) sell, transfer or otherwise realize any movable or immovable property belonging to, or in the control of the Financial Establishment either by public auction or with the prior approval of the Designated Court private arrangement:

Provided that the perishable items of assets shall be sold by public auction as soon as the competent Authority deems fit;

(g) make payment as per the orders passed by the Designated Court from out of the bank accounts; and

(h) do all and every acts and deeds which would be necessary for the speedy realization of the assets of the Financial Establishment.

Explanation- For the purpose of this Section, the expression “Financial Establishment” includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

[6A (1) Every Financial establishment which commences or carries on its business as such in the State of Uttarakhand on or after the commencement of this Act shall make a report to the District Collector and the superintendent of police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main Branch Office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the financial establishment in the State and such other particulars as may be prescribed.

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a financial establishment commences or carries on its business as such in the State;

Provided that a financial establishment which has been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every financial establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of police of the district in respect of its business and financial position, the area of its investment and the location of investment of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punished with fine which may extend to fifty thousand rupees.]¹

Assessment of assets and liabilities Court. 7. (1) Within thirty days from the date of appointment, the Competent Authority shall assess the deposit liabilities and the assets of the Financial deposit Establishment and submit the statement thereof to the Designated Court.

(2) The Competent Authority thereafter shall issue notice either individually or by means of effective media publication, inviting the claims from secured creditors, if any, and also the depositors of the Financial Establishment to submit their claims with proper proof to establish the same.

(3) Every notice under sub-section (2) sent to or deemed to have been effected to claimants shall state that if the statement of claim is not sent to the Competent Authority before the expiry of the period of one month from the date of notice, the claims shall not be treated as claim entitled to be paid under the provision of this Act.

(4) Every notice sent to a secured creditor shall require him to value the security before the expiry of the period of one month from the date of the notice and such notice shall also state that if the statement of the claim together with the valuation of the security is not sent to the Competent Authority, the Competent Authority himself shall value the security and his valuation shall be binding on such secured creditors.

(5) If the claimant fails to comply with the notice as per the sub-section (4), such security shall be valued by the competent Authority in his best judgment.

1- Inserted by section 2 of UK Act no 02 of 2017.

Report by the make Competent payment Authority application, other to seeking money as 8. After making a report as per section 7, the Competent Authority shall an application to the Designated Court seeking permission to make to the depositors out of the money realized. While making such the competent Authority shall assess the liability to the depositors and liabilities and in case the money realized or realizable is not sufficient meet the entire liability, make a submission to the Designated court permission for making payment to the depositors and disburse the per the orders of the Designated Court.

Power of the Court regarding realization of assets and payment to depositors their 9. (1) The Designated Court shall have all the powers for giving effect to the Designated provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Designated Court may—
(a) give any direction to the Competent Authority as it deems fit, for effective implementation of the provisions of this Act;
(b) approve the statement of dues of the Financial Establishment due from various debtors, assessment of the value of the assets of the Financial Establishment, finalise the list of the depositors and respective dues;
(c) direct the Competent Authority to take possession of any assets be long to or in the control of the Financial Establishment and sell, transfer or realize the attached assets either by public auction or by private sale, as he deems fit, depending upon the nature of assets and credit the sale proceeds thereof to the bank accounts;

- (d) Approve the necessary expenditure to be incurred by the Competent Authority for taking possession and realization of the assets of the Financial Establishment;
- (e) order for payment to the depositors by the competent Authority or order for proportionate payment to the depositors in the event of the money so realized is sufficient to meet the entire deposit liability; and
- (f) pass any order which the Designated Court deems fit for realization of the assets of the company and repayment to the depositors of the Financial Establishment or on any matter or issue incidental thereto.

Explanation – For the purpose of this section, the expression “Financial Establishment” includes the directors, promoters, managers or member of said establishment or any other person whose property or assets have been attached under section 4.

Constitution of Designated Court of

10. (1) for the purposes of this Act, the Government may, with the concurrence of the Chief Justice of the Uttarakhand High Court, by notification, in the Official Gazette, constitute one or more Designated Courts in the cadre District and Sessions Judge including Additional District and Sessions Judge for such area or areas or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification.

(2) No court including the court constituted under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 (Act No. 3 of 1909) and the Provincial Insolvency Act, 1920 (Act No.5 of 1920) other than the Designated Court shall have jurisdiction in respect of any matter to which the provisions of this Act are invoked.

(3) Any pending case in any other court in respect of which the provisions of this Act are invoked, shall stand transferred to the Designated Courts from the date of notification issued under sub-section (2) of section 4 of the Act.

Power of Designated property Court under regarding

11. (1) Upon receipt of an application under section 5, the Designated Court shall issue to the Financial Establishment or to any other person whose is attached and vested in the competent Authority by the Government

the Attachment said to

section 4, a notice accompanied by the application and affidavits and of evidence, if any, recorded calling upon the said Establishment and the person to show cause on or before a date to be specified in the notice, as why the order of attachment should not be made absolute.

(2) The Designated Court shall also issue such notice, to all other persons represented to it as having or being likely to claim, any interest or title in the property of the Financial Establishment or the person to whom; the notice is issued under sub-section (1), calling upon all such persons to appear on the same date as specified in the notice and make objection if they so desire to the attachment of the property or any portion thereof, on the ground that they have interest in such property or portion thereof.

(3) Any person claiming an interest in the property attached or any portion thereof may, notwithstanding that no notice has been served upon him under this section, make an objection as aforesaid to the Designated Court at any time on or before the specified date before and order is passed under sub-section (4) or sub section (6).

- (4) The Designated Court shall if no cause is shown and no objection are made on or before the specified date, under sub-section (1), forthwith pass an order making the order of attachment absolute, and issue such direction as may be necessary for realisation of the assets attached and for the equitable distribution amongst the depositors of the money realized from and out of the property attached.
- (5) If case is shown or any objection is made as aforesaid, the Designated Court shall proceed to investigate the same and in so doing, as regards the examination of the parties and in all other respects, the Designated Court shall, subject to the provisions of this Act follow the summary procedure as contemplated under the Civil procedure Code, 1908 (Act No.5 of 1908) and exercise all the powers of a court in hearing a suit under the said Code. Any person making an objection shall be required to adduce evidence to show that at the date of the attachment he had some interest in the property attached.
- (6) After investigation under sub-section (5), the Designated Court shall pass an order as early as possible preferably within one year of the reference of the case to it, either making the order of attachment passed under sub-section (2) of section 4 absolute or varying it by releasing a portion of the property from attachment or canceling the order of attachment :
- Provided that the Designated Court shall not release from attachment any interest which it is satisfied that the Financial Establishment or the person referred to in sub-section (1) has in the property, unless it is satisfied that there will remain under attachment an amount or property of value not less than the value that is required for re-payment to the depositors of such Financial Establishment.
- (7) Where an application is made by any person duly authorized or constituted or specified by any other State Government under similar enactment empowering him to exercise control over any money or property or assets attached by that State Government, the Designated Court shall exercise all its powers, as if, such an application were made under this Act and pass appropriate order or direction on such application so as to give effect to the provisions of such enactment.

Attachment of
property of
amount or mala-fide
the transferees

commencement
proper
transferee
the

12. (1) Where the assets available for attachment of a Financial Establishment or other person referred to in section 4 are found to be less than the value which such financial Establishment is required to repay to depositors and where the Designated Court is satisfied by affidavit or otherwise, that there is reasonable cause for believing that the said Financial Establishment has transferred (whether before or after the commencement of this Act) any of the property otherwise than in good faith or for consideration, the Designated Court may, by notice, require any of such property (whether or not he received the property directly from the said Financial Establishment) to appear on a date to be specified in the notice and show cause why so much of the transferee's property as is equivalent to the proper value of the property transferred should not be attached.
- (2) Where the said transferee does not appear and show cause on the specified date, or where after investigation in the manner provided in sub-section (5) of section 11, the Designated Court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not in good faith or for proper consideration, the Designated Court shall order the

		attachment of so much of the said transferee's property as is in the opinion of the Designated Court equivalent to the proper value of the property transferred.
Security in lieu about of attachment Designated where Court, the	13.	Any Financial Establishment or person whose property has been of is to be attached under this Act may, at any time, apply to the Court for permission to give security in lieu of such attachment and the security offered and given is, in the opinion of the Designated satisfactory and sufficient, it may cancel the order of attachment or, as case may be, refrain from passing the order of attachment.
Administration in Act heard, for--	14.	The Designated Court may, on the application of any person interested any property attached and vested in the Competent Authority under this and after giving the Competent Authority an opportunity of being make such order as the Designated Court considers just and reasonable for--
		(a)Providing from such of the property attached and vested in the Competent Authority as the applicant claims an interest in such sums as may be reasonably necessary for the maintenance of the applicant and of his family, and for expenses connected with the defence of the applicant where criminal proceedings have been instituted against him in the Designated Court under section 3;
		(b)safeguarding so far as may be practicable the interest of any business affected by the attachment and in particular, the interest of any partners in business;
		(c)discharging any liability, statutory or otherwise, of such Financial Establishment.
Appeal order of from	15.	Any person including the Competent Authority, if aggrieved by an the Designated Court, may appeal to the High Court within thirty days the date of the order.
Special public than prosecutor	16.	The Government shall, by notification, appoint an Advocate of not less ten years standing at Bar as a Special public prosecutor or Special Government pleader for the purpose of conducting the case in the Designated Court.
Procedure and powers of person, Designated Criminal Procedure, Court Cases. regarding offences	17. (1)	The Designated Court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and, in trying the accused shall follow the procedure prescribed in the code of 1973 (Act No.2 of 1974) for the trial of Sessions Criminal
	(2)	Except the provision of section 467 all the provisions of the Code of Criminal procedure, 1973(Act No.2 of 1974) shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Designated Court and for the purposes of the said provisions a Designated court shall be deemed to be a Magistrate.
	(3)	The Designated Court shall exercise the power of remand with regard to person forwarded to it as provided under section 167 and 309 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act No.2 of 1974).
	(4)	The Designated Court while trying the offence under this Act may also try an offence other than the offence under this Act with which the accused may be charged at the same trial under Code of Criminal Procedure, 1973(Act No.2 of 1974).

- (5)The offence punishable under this Act shall be cognizable and non-bailable.
- Act to override 18. Save as otherwise provided in this Act the provisions of this Act shall have other laws any effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage of any instrument having effect by virtue of any such law.
- Protection of 19. No suit or other proceeding shall lie against the Government or the action taken in Competent Authority or an officer or employee of the Government for good faith anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
- Power to make 20. (1)The State Government may, by notification in the official Gazette, make Rules rules to carry out the purposes of this Act.
- (2)All rules made and notifications issued under this Act shall be published in the Uttarakhand Government Gazette and unless they are expressed to come into force on a particular day, shall come into force on the day on which they are so published.
- Power to 21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the remove inconsistent difficulties Government may, as occasion arise, by order, do anything, not to with the provisions of this act, which appears to it to be necessary remove the difficulty.

--

